

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	द्वितीय और तृतीय प्रश्न पत्र : नीतियाँ और हस्तक्षेप, पर्यावरण संबद्ध मुद्दे

संदर्भ



- हाल ही में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के मौजूदा प्रावधानों को अपराध से मुक्त किए जाने का प्रस्ताव दिया है।
- ज्ञातव्य है कि मौजूदा ईपीए प्रावधान के अंतर्गत 1 जुलाई, 2022 को प्रभावी हुए एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक प्रतिबंध के मामले में दंड को नियंत्रित किया जाना है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

महत्वपूर्ण प्रस्ताव

- मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत "कम गंभीर" मामलों के उल्लंघनों के लिए कारावास को आर्थिक दंड में परिवर्तित किए जाने की संस्तुति की है।
- एक व्यापक कानून, जो जल और वायु अधिनियम जैसे अन्य पर्यावरण कानूनों का स्थान लेता है, को भी अपराध से मुक्त किए जाने का प्रस्ताव किया गया है।
- संशोधनों में एक "पर्यावरण संरक्षण कोष" बनाने का भी प्रस्ताव है, जिसमें जुर्माने की राशि का भुगतान किया जाएगा।
- यद्यपि, ईपीए के अंतर्गत गंभीर उल्लंघन के मामले, जिससे गंभीर चोट या जीवन की हानि होती है, को भारतीय दंड संहिता के प्रावधान के तहत कवर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।

पृष्ठभूमि

- भारत पर्यावरण पर स्टॉकहोम घोषणा (1972) का एक हस्ताक्षरकर्ता है।
- स्टॉकहोम सम्मेलन से वास्तव में समकालीन 'पर्यावरणीय युग' की शुरुआत हुई। इसने कई अर्थों में, धरती की चिंताओं के बहुपक्षीय शासन को मुख्यधारा में ला दिया।
- इसके कारण पिछले पचास सालों में पांच सौ से ज्यादा बहुपक्षीय पर्यावरण समझौतों को अपनाया गया।

पर्यावरण संरक्षण और भारत

- देश में जानवरों, पौधों और पक्षियों को संरक्षित और सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया गया था।
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 को पारित किया गया।
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 को पारित किया गया।
- विदित है कि वर्ष 1986 में भोपाल गैस त्रासदी के बाद संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 पारित किया गया।
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत, भारत ने 1994 में अपने पहले ईआईए मानदंडों को अधिसूचित किया। प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच, उपयोग और प्रभावित (प्रदूषित) करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया गया।
- विदित है कि प्रत्येक विकास परियोजना को तब से पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए ईआईए प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
- 1994 ईआईए अधिसूचना को 2006 में एक संशोधित मसौदे के साथ बदल दिया गया था। इस साल की शुरुआत में सरकार ने 2006 में जारी किए गए संशोधनों और प्रासंगिक अदालती आदेशों को शामिल करने और ईआईए को "प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समीचीन" बनाने के लिए इसे फिर से तैयार किया।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986

- पर्यावरण की सुरक्षा और इससे संबद्ध मामलों को संबोधित करने के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 अधिनियमित किया गया था।
- संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत 1986 को अधिनियमित ईपीए पर्यावरण सुरक्षा की दीर्घकालिक आवश्यकताओं के अध्ययन, योजना और कार्यान्वयन के लिए ढांचा स्थापित करता

है और पर्यावरण के लिए खतरा पैदा करने वाली स्थितियों के लिए त्वरित और पर्याप्त प्रतिक्रिया की एक प्रणाली निर्धारित करता है।

क्यों लागू किया गया?

- स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में लिए गए निर्णयों को प्रभावी करना।
- उद्योग को विनियमित करने के लिए एक सरकारी प्राधिकरण का निर्माण करना।
- मौजूदा कानूनों के तहत कार्यरत विभिन्न एजेंसियों की गतिविधियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।
- पर्यावरण की सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून निर्मित करना।
- पर्यावरण, सुरक्षा और स्वास्थ्य को संकट में डालने वाली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए दंड का प्रावधान करने के लिए।

ईपीए 1986 के तहत दंड का प्रावधान

- ईपीए के मौजूदा प्रावधानों या इस अधिनियम के नियमों के किसी भी गैर-अनुपालन या उल्लंघन के मामले में उल्लंघनकर्ता को पांच वर्ष तक की कैद या 1,00,000 रुपये तक के आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
- इस तरह के उल्लंघन को जारी रखने के मामले में हर दिन के लिए 5,000 रुपये तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है।
- इसके अलावा, यदि उल्लंघन दोष सिद्ध होने की तारीख के बाद एक वर्ष की अवधि के बाद भी जारी रहता है, तो अपराधी को कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

पर्यावरण संरक्षण से जुड़े संवैधानिक प्रावधान

- अनुच्छेद 48ए राज्य को पर्यावरण के संरक्षण एवं सुधार के लिए प्रयास करने और देश में वन और वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए प्रयास करने के लिए निर्देशित करता है।
- अनुच्छेद 51ए (जी) में उल्लिखित है कि जंगल, झीलों, नदियों और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और सभी जीवित प्राणियों के लिए दया करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा।
- अनुच्छेद 21 जीवन के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। पर्यावरण का अधिकार, बीमारी और संक्रमण के खतरे से बचाव इसमें निहित है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	तृतीय प्रश्न पत्र : आपदा प्रबंधन

संदर्भ

**CDRI TO BE CATEGORIZED AS
INTERNATIONAL ORGANIZATION**

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना (सीडीआरआई) के लिए गठबंधन को 'अंतर्राष्ट्रीय संगठन' के रूप में वर्गीकृत करने और सीडीआरआई के साथ मुख्यालय समझौते (एचक्यूए) पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

- विदित है यह स्वीकृति इस आधार पर दिया गया है कि इसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 के तहत अपेक्षित छूट, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार प्रदान किया जा सके।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

पृष्ठभूमि

- भारत के प्रधानमंत्री द्वारा सीडीआरआई को 23 सितंबर, 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था।
- 28 अगस्त, 2019 को मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में अपने सचिवालय के साथ सीडीआरआई की स्थापना के लिए 480 करोड़ रुपये की सहायता से स्वीकृति प्रदान की थी।
- भारत सरकार से प्राप्त सहायता धनराशि सीडीआरआई के लिए तकनीकी सहायता और अनुसंधान परियोजनाओं को वित्तपोषित करने, सचिवालय कार्यालय स्थापित करने और 2019-20 से 2023-24 तक 5 वर्षों की अवधि में आवर्ती व्यय को कवर करने के लिए एक कोष के रूप में कार्य कर रही है।

आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (सीडीआरआई)

- यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दूसरी प्रमुख वैश्विक पहल है, जो वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन और आपदा सहनीय मामलों में भारत की नेतृत्व भूमिका का प्रदर्शन करता है।
- सीडीआरआई राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्तपोषण व्यवस्थाओं, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक और ज्ञान संस्थानों की एक वैश्विक साझेदारी है।
- इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए अवसंरचना प्रणालियों की सहनीयता को प्रोत्साहन देना है और इस प्रकार सतत विकास सुनिश्चित करना है।

निर्णय के निहितार्थ

'अंतर्राष्ट्रीय संगठन' के रूप में श्रेणीबद्धता और संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 की धारा 3

- सीडीआरआई को एक 'अंतर्राष्ट्रीय संगठन' के रूप में श्रेणीबद्ध करने और संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 की धारा 3 के तहत अपेक्षित छूट, उन्मुक्ति और विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए सीडीआरआई के साथ एचक्यूए पर हस्ताक्षर करने से इसे एक स्वतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहचान प्राप्त होगी। साथ ही, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम होगा।

सीडीआरआई को निम्न कार्यों में सहायता मिलेगी-

- अन्य देशों में विशेषज्ञों को नियुक्त करना, जो विशेष रूप से आपदा जोखिम के प्रति संवेदनशील हैं और/या आपदा के बाद के राहत कार्यों के लिए उन्हें समर्थन की आवश्यकता है तथा इसी तरह के उद्देश्यों के लिए सदस्य देशों के विशेषज्ञों को भारत लाने में सहायता मिलेगी।
- सीडीआरआई गतिविधियों के लिए विश्व स्तर पर धन नियोजित करने और सदस्य देशों से योगदान प्राप्त करने में मददगार सिद्ध होगा।
- देशों को उनकी आपदा एवं जलवायु जोखिम और संसाधनों के अनुसार सहनीय अवसंरचना विकसित करने में सहायता के लिए तकनीकी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने में सहायक होगा।
- सहनीय अवसंरचना के लिए उपयुक्त जोखिम रोधी शासन व्यवस्था और रणनीति अपनाने में देशों को सहायता प्रदान करेगा।

- सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), पेरिस जलवायु समझौते और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए मौजूदा और भविष्य की अवसंरचना को आपदा व जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए सदस्य देशों को अपनी प्रणाली के उन्नयन में हर संभव समर्थन प्रदान करेगा।
- अपने देश में आपदा रोधी अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों का लाभ होगा।
- भारतीय वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों के साथ-साथ अवसंरचना का विकास करने वालों को वैश्विक विशेषज्ञों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा। इससे सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में हमारी अपनी क्षमताओं और व्यवस्थाओं के निर्माण में मदद मिलेगी, ताकि आपदा रोधी अवसंरचना के विकास का समर्थन किया जा सके।

सीडीआरआई में शामिल सदस्य देश

- सीडीआरआई की शुरुआत के बाद से 31 देश, 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन इसके सदस्य देश के रूप में शामिल हुए हैं।
- सीडीआरआई आर्थिक रूप से अग्रणी देशों, विकासशील देशों और जलवायु परिवर्तन तथा आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील देशों को आकर्षित करके अपनी सदस्यता का लगातार विस्तार कर रहा है।
- समय के साथ, न केवल भारत में बल्कि अन्य भागीदार देशों में भी आपदा रोधी अवसंरचना को आगे बढ़ाने के लिए संगठनों/हितधारकों का एक नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

स्रोत: पीआईबी

स्टीलथ कॉम्बैट ड्रोन

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित

प्रारम्भिक परीक्षा	मुख्य परीक्षा
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	तृतीय प्रश्न पत्र : रक्षा

संदर्भ



- रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने मानव रहित 'स्वायत्त उड़ान विंग प्रौद्योगिकी प्रदर्शक' की पहली उड़ान के रूप में मिसाइल दागने और बम गिराने में सक्षम एक पूर्ण स्टील्थ लड़ाकू ड्रोन बनाने की दिशा में एक प्रारंभिक किन्तु महत्वपूर्ण पहल की है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

वैमानिकी परीक्षण

- स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्टबेड (SWiFT) एक दूर से चलने वाले स्ट्राइक एयरक्राफ्ट (RPSA) का एक छोटा संस्करण है।
- इसे कर्नाटक के चित्रदुर्ग में वैमानिकी परीक्षण रेंज से उड़ाया गया था।
- यह पूर्णतः स्वायत्त मोड में संचालित की गई, जिसके अंतर्गत विमान ने उड़ान, मार्ग बिन्दु नेविगेशन और सुगम टचडाउन सहित एक आदर्श उड़ान का प्रदर्शन किया।

मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन (यूसीएवी)

- स्टील्थ ड्रोन को मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन (यूसीएवी) के रूप में भी जाना जाता है।
- यह डीआरडीओ की प्रमुख एवियोनिक्स अनुसंधान प्रयोगशालाओं में से एक है, जो वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान (एडीई), बेंगलुरु द्वारा अभिकल्पित और विकसित किया गया है।
- यूसीएवी, ऑटोनॉमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट नामक घटक सशस्त्र स्टील्थ ड्रोन कार्यक्रम का एक अग्रगामी है।
- ऑटोनॉमस अनमैन्ड रिसर्च एयरक्राफ्ट को एक आत्मरक्षा, उच्च गति, टोही यूएवी के रूप में वर्णित किया गया है, जो हथियार फायरिंग क्षमता से युक्त है।

महत्व

- यह उड़ान भविष्य के मानव रहित विमानों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को साबित करने के मामले में एक प्रमुख मील का पत्थर है।

- यह स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, फलतः यह सामरिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यद्यपि, यह वर्तमान में एक छोटे रूसी टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित है।
- स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्टबेड (SWIFT) की उड़ान, जिसका वजन एक टन से अधिक है, ने अधिक बड़े RPSA के निर्माण के लिए आवश्यक उड़ान नियंत्रण कानूनों, नेविगेशन और अन्य तकनीकी आवश्यकताओं को मान्य किया।
- विदित है कि स्टील्थ विंग फ्लाइंग टेस्टबेड (SWIFT) के एयरफ्रेम, अंडर कैरिज, संपूर्ण उड़ान नियंत्रण और एवियोनिक्स सिस्टम स्वदेशी रूप से विकसित किए गए हैं।

स्रोत: द हिन्दू